प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स. 284/23 दिनांक 31/10/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट : – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. : –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं : –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 544 समय 4:10 PM
   (2) अपराध के घटने का दिन **गुरूवार** दिनांक **05.10.2023** समय **03.00** पी.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.09.2023 समय 02.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 292 किलोमीटर
   (2) पता – कस्बा रावतभाटा
   .... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
   परिवादी (प्रथम)
   (1) नाम : श्री सागर मेडी
   (2) पिता का नाम : श्री बलराज मेडी
   (3) आयु : 29 साल
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
   (6) व्यवसाय : सेल्समैन
   (7) पता : निवासी B 87 TIT कालोनी नीमच मध्य प्रदेश।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री समरथ सिंह राणावत पुत्र श्री नाहर सिंह राणावत उम्र 31 साल जाति राजपूत निवासी चौगावडी थाना गंगरार जिला चित्तौडगढ़ तत्कालीन कानि0 न0 684 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
   क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
   1. भारतीय चलन मुद्रा 45,000 रूपये द्वारा दिनांक 23.09.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश करने पर दिनांक 24.09.2023 को परिवादी श्री सागर मेडी व आरोपी समरथ सिंह कि रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई तथा तय समय 4/5 अक्टुंबर के अनुसार दिनांक 05.10.2023 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। किन्तु आरोपी श्री समरथ सिंह को एसीबी टीम कि भनक लग जाने के कारण रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की काफी प्रयास के बाद भी आरोपी समरथ सिंह का कही पता नही चला। आरोपी श्री समरथ सिंह कानि0 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ द्वारा परिवादी श्री सागर मेडी की शराब की दुकान रात्री 08 बजे बाद दुकान खोलने व शराब दुकान के अन्दर बैठकर पिलाने के नाम व किसी भी प्रकार कि परेशनी नहीं आने देने के नाम पर बेधडक धन्धा करने की अनुमति देने की एवज में तीन माह पूर्व के बकाया तीस हजार व अक्टूम्बर माह से प्रतिमाह 15,000/–रू. कुल 45,000 /–रिश्वत राशि मांग करने आरोपी श्री समरथ सिंह कानि0 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ द्वारा अपनी मांग करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 45,000/– रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा / यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय जी,

वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 23.09.2023 को दोपहर 2.00 बजे यह हस्तलिखित **Report** श्री सागर मेडी पिता बलराज मेडी निवासी **B 87 TIT** कालोनी नीमच ने पेश की। **Report** का अवलोकन किया परिवादी ने बताया कि चितौड जिले मे हमारी 30 दुकाने शराब की है। हम लोग लम्बे समय से इस धन्धे मे है रात्रि मे 8 बजे शराब की दुकान बन्द कर देते है 5–10 मिनिट उपर होते ही इसी बात पर थाना रावतभाटा का कानि समरथ सिंह हमारे को धमका रहा है अप्रेल से जुलाई 2023 का हमने शिष्टाचार निभाया है लेकिन कानि0 समरथ सिहं हमारे को धमका रहा है। सीआई साहब की धोंस दे रहा है, कल मेरी दुकान के ताला तक लगा कर चाबी ले गया आज फोन पर बहुत अनुनय निवेदन किया तब चाबी दी। में इनको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हुं। परिवादी से हुई वार्ता के मुताबित आरोपी द्वारा रिश्वत मांग करना पाया गया है, किन्तु सत्यापन किया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नेमीचन्द सहायक उपनिरीक्षक को परिवादी श्री सागर मेडी से परिचय करवा कर मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैड कानि0 से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय एक नया मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में लगाकर परिवादी को चालु व बन्द करने की समझाईश कि गई। डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर श्री नेमी चन्द सहायक उप निरीक्षक को हिदायत दी गई कि परिवादी के साथ रावतभाटा जाकर संदिग्ध श्री समरथ सिंह कानिस्टेबल थाना रावतभाटा से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्ता रिकार्ड करें, परिवादी श्री सागर मेडी के साथ श्री नेमीचन्द सहयक उप निरीक्षक को मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने के लिये रावतभाटा रवाना किया गया । श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक ने मोबाईल से वाट्सअप कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री सागर मेडी कि संदिग्ध श्री समरथ सिंह कानि0 की वार्ता करवाई तो समरथ सिंह ने बाहर होना बताया व कल मिलना बताया जिस पर नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक को परिवादी के साथ रावतभाटा रूक कर सम्पर्क होने पर वार्ता रिकार्ड करने के निर्देश दिये। दिंनाक 24.09.2023 समय 04.00 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक ने मोबाईल से वाट्सअप कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री सागर मेडी की संदिग्ध श्री समरथ सिंह कानि0 की वार्ता हो गई है, रिश्वत मांग रिकार्ड कर ली है। मैं आफिस आ रहा हूं। समय 07.30 पी. एम. पर नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक मय परिवादी श्री सागर मेडी कार्यालय में उपस्थित आये। नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि चित्तौडगढ़ से परिवादी के साथ परिवादी की गाडी से रवाना हो रावतभाटा पहुचें जहां पर परिवादी ने अपने मोबाईल 9179863671 नम्बर से संदिग्ध श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर कल वार्ता करवाई गई थी तो संदिग्ध श्री समरथ सिंह ने बाहर होना बताया व आज मिलना बताया। जिस पर निर्देशानुसार रात्रि मुकिम रावतभाटा कर दिनांक आज 24.09.2023 को सुबह 08.50 ए.एम. पर परिवादी सागर मेडी ने अपने मोबाईल 9179863671 नम्बर से संदिग्ध श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध श्री समरथ सिंह ने दो तीन बजे मिलना बताया। जिस पर दो तीन बजे तक इन्तजार कस्बा रावतभाटा में कर परिवादी की शराब की दुकान पर किया। करीब तीन बजे परिवादी श्री सागर मेडी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर संदिग्ध श्री समरथ सिंह से होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिए सुपूर्द की। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए शराब की दुकान के आस पास मुकिम हुआ। कुछ समय बाद आरोपी अपनी गाडी थार जीप में परिवादी सागर मेडी की दुकान पर आ गया। परिवादी और आरोपी दोनों आरोपी की गाडी में बैठ गये आरोपी चालक की सीट पर बैठा था, जो मुझे दूर से नजर आ रहे थे। कुछ देर दोनों ने खडी हुई गाडी में बात की फिर आरोपी परिवादी सागर को नीचे उतार कर रवाना हो गया। मैं परिवादी की दुकान पर पहुंचा। उसने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी जो कि बन्द हालात में पेश कर मुझे

बताया कि मेरी समरथ सिंह जी से रिश्वत लेन देन के सम्बन्ध में बात हो गई है। जो इस रिकार्डर में रिकार्ड है। रिश्वत कि राशि एक तारीख से पांच तारीख के बीच लेगा। परिवादी ने बताया कि श्री समरथ सिंह जी तीन माह के पुराने पहलें पन्द्रह पन्द्रह हजार रूपये मांगें व बाद मैं दस दस हजार रूपये देने के लिए कहा व अक्टूम्बर माह से प्रतिमाह पन्द्रह हजार कुल पैतालिस हजार रूपये की मांग की है। जिस पर मैं व परिवादी वंहा से परिवादी की गाडी से रवाना हो चित्तौडगढ़ एसीबी कार्यालय पहुचें। परिवादी को समस्त हालात पूछे तो तथ्यों कि ताईद हुई। डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी को चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों कि ताईद हुई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी जब रिश्वत राशि लेने के लिए सम्पर्क करे तो तुरन्त रिश्वत राशि की व्यवस्था कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करे। वार्ता के मुताबिक 4–5 तारीख को अक्टूम्बर माह में अग्रिम कार्यवाही कि जावेगी। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु मालखाना प्रभारी श्याम लाल हैड कानि0 को सुपुर्द किया गया। दिनांक 04.10.2023 समय 01.30 पी.एम. इस समय परिवादी श्री सागर मेडी कार्यालय में आये। परिवादी से वार्ता कि गई परिवादी ने बताया कि दिनांक 26.0.9.2023 को समय 7.41 पी.एम. पर मेरे को श्री समरथ सिंह ने कई बार फोन किया था मैं व्यस्त होने के कारण उनका फोन नही उठा पाया फिर मेरी 7.41 पी.एम. पर 41 सेकण्ड तक उनसे वार्ता हुई। जिसमें समरथ सिंह ने मुझसे पूछा कि क्या सेठ जी से बात हो गई है तो मैने कहा हां, आप चिन्ता मत करो मैं 4–5 अक्टूम्बर को आ जाउंगा। और आप को पैतालिस हजार रूपये दे दूगां। प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान बुलाने हेतु पत्र जारी किया गया। तामिल हेतु श्री श्याम लाल हैड कानि0 को निर्देश दिये गये। श्री श्याम लाल हैड कानि0 से मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकार्ड मय मेमोरी कार्ड निकलवाया गया। आगे की गतिविधी तय करने के लिए आरोपी से वार्ता होना जरूरी है, परिवादी का कहना है कि आरोपी वाट्सअप पर ही वार्ता करना पसंद करता है। अतः परिवादी के मोबाईल नम्बर 9179863671 के वाट्सअप नामक ऐप्लीकेशन से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर वॉईस कॉल किया गया आवाज साफ नही आ रही है फोन कट गया। तुरन्त आरोपी ने कॉल बैक किया जिसमें दिनांक 05.10.2023 को दोनों का मिलना रावतभाटा में तय हुआ। परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई इस वाट्सअप वार्ता को परिवादी के मोबाईल के स्पीकर को खोल कर कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्ड में श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिकार्ड किया गया। डीवीआर मय मैमोरी कार्ड सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। परिवादी श्री सागर मेडी व आरोपी के मध्य होने वाली टेलीफोनिक/वाट्सअप वार्ताओं के अपने मोबाईल के कॉल लोग के स्क्रीन शॉट पेश किये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी का इस सन्दर्भ में 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पत्रावली में शामिल किया जायेगा। दिनांक 05.10.2023 समय 08.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री राजेन्द्र खटीक पुत्र श्री कैलाश चन्द्र खटीक उम्र 40 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला चित्तौडगढ़ हाल सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ़ एवं श्री विनोद कुमार व्यास पुत्र स्व. श्री शम्भू लाल व्यास जाति ब्राहमण उम्र 40 साल निवासी 136 शिवपुरम विध्या विहार स्कुल के पास सेंती चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्तौडगढ़ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में उपस्थित आये जिन्हें पूर्व में कक्ष में बैठे हुए परिवादी श्री सागर मेडी का आपस मे परिचय करवाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही मे बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु दोनो गवाहानों से मौखिक सहमती प्राप्त की गई । इसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 23.09.2023 को ब्यूरो कार्यालय मे पेश की गई रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाई और दिखाई गई तो परिवादीगणों ने भी शब्द–ब–शब्द सही होना स्वीकार किया व रिपोर्ट पर परिवादी ने स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया। परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकलवाई जाकर दिनांक 23.09.2023 एवं 24.09.2023 व 04.10.2023 को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता व रूबरू रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ताओं को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई तो दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी सागर मेडी की उपस्थिति में,

[redacted]

दिनांक 23.09.2023 को समय 05.26 पी.एम. व 06.39 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9179863671 से आरोपी श्री समरथ सिंह कानि. के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर कस्बा रावतभाटा में मोबाईल पर वाट्सअप ऐप्लीकेशन पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी सागर मेडी की उपस्थिति में, दिनांक 24.09.2023 को समय 09.14 ए.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9179863671 से आरोपी श्री समरथ सिंह कानि. के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर कस्बा रावतभाटा में मोबाईल पर वाट्सअप ऐप्लीकेशन पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी सागर मेडी की उपस्थिति में दिनांक 24.09.2023 समय 03.20 पी.एम. पर परिवादी के द्वारा संचालित शराब कि दुकान के बाहर आरोपी कि थार महिन्द्र गाडी में रूबरू आरोपी श्री समरथ सिंह कानि0 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ से हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री समरथ सिंह कानि0 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ, को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री सागर मेडी को पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री सागर मेडी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 90 नोट कुल 45,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिस पर उक्त कुल राशि 45,000/–जिनके नम्बर निम्नानुसार है : –

क्रं. सं.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0EA 034292
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6BM 941910
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1ST 840860
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2WM 537420
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2MQ 485125
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0FQ 490670
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5EQ 274864
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CA 054697
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3WM 702250
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9CT 224885
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GW 900213
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3LP 107610
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3ET 639119
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8WA 204368
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AL 949796
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7BM 155224
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5QB 520957
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1TM 163064
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MK 969577
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1ET 208709
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5FR 965003
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0SM 773187
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1BN 863249

24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8BD 941522
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9TF 156538
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3KM 254794
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5TL 300628
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7NA 474245
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4UP 920515
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5UE 186998
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0WA 212382
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4NV 184391
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8PK 845189
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8WS 535962
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8UE 169281
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7KG 547367
37.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6LV 472287
38.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9HA 620783
39.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AC 346170
40.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6KG 444947
41.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0BH 560553
42.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7CS 550617
43.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7DW 146745
44.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4KM 510567
45.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3GQ 512756
46.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9LG 112260
47.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0UR 747216
48.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1HN 570679
49.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1CG 436042
50.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2UB 248508
51.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0GV 456376
52.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5DS 101517
53.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4EB 369821
54.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4GP 394525
55.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6EU 148109
56.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4SU 078010
57.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7CR 836432
58.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5MM 408678
59.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7HG 504078
60.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9QS 533588
61.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6QH 675145
62.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1NM 189702
63.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2BR 698501
64.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2DV 142211
65.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0GC 954917
66.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2CN 789043
67.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1HN 430135
68.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MN 941519
69.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4BM 252090
70.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9EP 613227
71.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9CQ 098018

[redacted]

72.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3BG 508763
73.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2AK 036043
74.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9MC 289246
75.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FP 422464
76.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5CB 808788
77.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0PE 784199
78.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9CQ 000302
79.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0CP 387466
80.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0PK 360584
81.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1NA 287620
82.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9SQ 763336
83.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4QN 763579
84.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4HT 291798
85.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KG 746574
86.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4EB 732101
87.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4BU 467511
88.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5VV 133350
89.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5CF 074815
90.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6SC 657700

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो के नम्बरों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया। कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैड कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से परिवादी के द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 45,000/– रूपयें के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए नोटों को परिवादी श्री सागर मेडी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री सुनिल कानि0 से ट्रेप बॉक्स में रखी एक प्लास्टिक कि डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया इस घोल मे कानि. मान सिंह के हाथ की अगुंलियां व अगुंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात इस घोल में श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 की अंगुलियों व अंगुठे जिस पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी जब परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से बाहर नाली में फिंकवाया गया एवं अखबार व प्लास्टिक कि डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री समरथ सिंह को उनकी मांग अनुसार 45,000/– रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने–अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी

गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर दोनो हाथों को फैरने का निर्धारित गोपनीय ईशारा करने के सम्बन्ध में बताया तथा उक्त गोपनीय निर्धारित ईशारे के सम्बन्ध में दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यों को समझाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री सागर मेडी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता की रिकार्डिंग करने हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस की गई तत्पश्चात मालखाना प्रभारी श्रीश्याम लाल हैड कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में रखवाई गई तथा महिला कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही उपस्थित रहने के सम्बन्ध में हिदायत दी गई । उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तीब कर परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई । इस कार्यवाही की फोटोग्राफी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वय के मोबाईल से कर प्रींट निकलवा कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाहान श्री राजेन्द्र खटीक सांख्यिकि अधिकारी, श्री विनोद कुमार व्यास वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0, सुनील कुमार कानि. मय दोनो सरकारी वाहन टवेरा मय कानि0 चालक श्री जयराम मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. एवं आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण नेमीचन्द ए.एस.आई, एवं श्याम लाल हैड कानि0, कानि0, श्री मान सिंह कानि0, सूरज कानि., परिवादी को साथ लेकर कार्यवाही हेतु रावतभाटा के लिए हम सभी रवाना हो समय 02.00 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना शुदा कस्बा रावतभाटा पहूंचें जहां पर परिवादी श्री सागर मेडी एंव श्री मान सिहं कानि0, श्री विनोद कुमार व्यास, श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक एंव श्री श्याम लाल हैड कानि0 को परिवादी की दुकान पर छोडा गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि जेसे ही आरोपी से वार्ता होती है तो मुझे अवगत करावे। शैष टीम और वाहन परिवादी की दुकान से करिब 100 मीटर दूर अपना छुपाव लेते हुये खडे हुए । परिवादी को आरोपी की लोकशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 9179863671 से आरेापी श्री समरथ सिंह कानि. के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर वाट्सअप एप्लीकेशन से कॉल लगाकर बात करवाई कि गई तो आरोपी समरथ सिंह ने थोडी देर बाद आने के लिए बताया उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिकार्ड करवाई गई। परिवादी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने के सम्बन्ध में पुनः समझाईश कर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया और बताया की रिश्वत देते वक्त जो भी बात होती है वह रिकार्ड करे। साथ ही यह भी बताया की जेसे ही आरोपी रिश्वत ग्रहण कर ले अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। ट्रेप पार्टी के सदस्यगण अपनी–अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारें के ईन्तजार में मुकीम रहें । कुछ समय बाद परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया व बताया कि आरोपी श्री समरथ सिंह का फोन आया व बताया कि कोटा बेराज आ जाओं में वहीं मिलूगा। जिस पर परिवादी को कोटा बैराज के लिए मोटरसाईकिल पर हमरा स्वतन्त्र गवाह श्री विनोाद व्यास के साथ रवाना किया शैष टीम परिवादी के पिछे पिछे अपने वाहन से कोटा बैराज के लिए रवाना हो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के मय परवादी श्री सागर मेडी के पिछे पिछे कोटा बैराज पहुचं कर परिवादी से कुछ दुरी पर आस पास मुकिम हुए। कुछ समय बाद परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर बन्द हालात में पेश कर बताया कि समरथ सिंह को कई बार फोन किया तो पहले फोन बन्द आया फिर कुछ समय बाद मेरी उससे बात हुई तो समरथ सिंह ने बताया कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया है। चित्तौडगढ़ मुझे आप से नहीं मिलना है और उसने फोन काट कर स्वीच ऑफ कर दिया। ये बात हुई उस समय मेरा फोन स्पीकर पर नही होने से उक्त वार्ता को मैं टेप में रिकार्ड नही कर सका। आरोपी श्री समरथ सिंह को एसीबी टीम की भनक लग जाने की पूर्ण सम्भावना होने से

परिवादी श्री सागर मेडी से रिश्वत राशि ग्रहण नही करने की पूरी सम्भावना है। अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय पहुचं की जावेगी। सम्पुर्ण कस्बे में आरोपी श्री समरथ सिहं कानि0 को ढूढां गया तो आरोपी श्री समरथ सिहं कंही नही मिलने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुभाष मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावतभाटा को फोन कर आरोपी श्री समरथ सिहं को पेश करने बाबत् निर्देश दिये जिस पर श्री सुभाष मिश्रा ने बताया की हमने अभी 4 बजे ही रॉल कॉल लिया था किन्तु श्री समरथ सिहं थाने पर नही था इसलिए उसकी गैर हाजिरी डाली है। रोजनामचा कि कोपी आपको भिजवा देगें श्री समरथ सिहं स्वेच्छा से गैर हाजिर हो गया है। स्पष्ट है की आरोपी को कार्यवाही की भनक लग गई है अतः अब कार्यवाही सम्भव नही है। समय 05.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाहान श्री राजेन्द्र खटीक, श्री विनोद कुमार व्यास मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0, सुनील कुमार कानि0 मय दोनो सरकारी वाहन टवेरा मय कानि0 चालक श्री जयराम मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी. एस. एवं आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं कानि0, श्री मान सिंह कानि0 कानि0 सुरज मल मय परिवादी के कस्बा रावतभाटा से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुए । समय 08.30 पी. एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहुचां जहां पर परिवादी से रिश्वत मे दी जाने वाली राशि को सुपुर्द करने कि कहने पर परिवादी ने अपने पास रखे फिनाफथ्लीन पाउडर लगे नोट कुल 45,000/– रूपये प्रस्तुत किये जिन्हे परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष वजह सबूत जप्त कर रिश्वत राशि को मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैड कानि0 कों सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई। स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी सागर मेडी की उपस्थिति में, दिनांक 04.10.2023 को समय करीब 01.45 पी.एम. व 01.46 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9179863671 से आरोपी श्री समरथ सिंह कानि. के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर वाट्सअप एप्लीकेशन से हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिकार्ड की गई थी जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी सागर मेडी की उपस्थिति में, दिनांक 05.10.2023 को समय करीब 02.01 पी.एम. पर के मोबाईल नम्बर 9179863671 से आरोपी श्री समरथ सिंह कानि. के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर लेन देन से पूर्व कस्बा रावतभाटा में वाट्सअप एप्लीकेशन से हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिकार्ड की गई थी जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड शुदा दिंनाक 23.09.2023 को समय करिब 5.26 पीएम एंव 6.39 पीएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई (2) वार्ता एंव दिनाक 24.09.2023 को समय करिब समय 9.14 एएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 से आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई वार्ता एंव दिंनाक 24.09.2023 को समय करिब 3.15 पीएम पर हुई परिवादी श्री सागर मेडी व आरोपी श्री समरथ सिहं के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता व दिंनाक 04.10.2023 को समय करिब 1.45 व 1.46 पीएम पर दो बार लगातार परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई मोबाईल वार्ता व दिंनाक 05.10.2023 को समय करिब 2.01 पीएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई मोबाईल वार्ता कुल 07 वार्तायें कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त 07 वार्ताओं की 04 सीडी श्री मानसिंह कानि0 नम्बर 571 से डब करवाई जाकर 01 सीडी वजह सबूत न्यायायल के लिये, 01 सीडी आरोपी के लिये, 01 सीडी नमूना आवाज के लिये

[redacted]

पृथक–पृथक सीडीया को सफेद कपडे की थैलीयों मे सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट कि गई एवं 01 सीडी. आई.ओ. के लिये खुली रखी गई। समय 10.30 पी.एम इस समय स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष रिकॉर्ड शुदा दिंनाक 23.09.2023 को समय करिब 5.26 पीएम एंव 6.39 पीएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई (2) वार्ता एंव दिनाक 24.09.2023 को समय करिब समय 9.14 एएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 से आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई वार्ता एंव दिंनाक 24.09.2023 को समय करिब 3.15 पीएम पर हुई परिवादी श्री सागर मेडी व आरोपी श्री समरथ सिहं के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता व दिंनाक 04.10.2023 को समय करिब 1.45 व 1.46 पीएम पर दो बार लगातार परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई मोबाईल वार्ता व दिंनाक 05.10.2023 को समय करीब 2.01 पीएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई मोबाईल वार्ता कुल 07 वार्तायें कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त 07 वार्ता को सरकारी डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर ऑडियों फाईल्स को ए–डेटा कम्पनी के 16 जी.बी. पेन ड्राईव स्टील में सेव किया जाकर उक्त पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क **"पी."** अंकित कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इस समय स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड शुदा (1) दिंनाक 23.09.2023 को समय करिब 5.26 पीएम एंव 6.39 पीएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई (2) वार्ता एंव दिनाक 24.09.2023 को समय करिब समय 9.14 एएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 से आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई वार्ता एंव दिंनाक 24.09.2023 को समय करिब 3.15 पीएम पर हुई परिवादी श्री सागर मेडी व आरोपी श्री समरथ सिहं के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता व दिंनाक 04.10.2023 को समय करिब 1.45 व 1.46 पीएम पर दो बार लगातार परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई मोबाईल वार्ता व दिंनाक 05.10.2023 को समय करिब 2.01 पीएम पर परिवादी श्री सागर मेडी के मोबाईल नम्बर 9179863671 व आरोपी श्री समरथ सिंह के मोबाईल नम्बर 9602031577 पर हुई मोबाईल वार्ता कुल 07 वार्तायें कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त 07 वार्ताओं जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए MICRO SD कम्पनी के 08 जी.बी. मेमारी कार्ड में रिकॉर्ड है । उक्त सरकारी MICRO SD कम्पनी के 08 जी.बी. मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क **"एम."** अंकित कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित परिवादी श्री सागर मेडी तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राजेन्द्र खटीक, गवाह, श्री विनोद कुमार व्याास, गवाह को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रूखसत किया गया ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री समरथ सिंह कानि0 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री सागर मेडी जो कि शराब के ठेकेदार है, तथा पुरूषोतम सिकलीघर ईनके चितौड कि शराब के धन्धे मे पार्टनर है की रावतभाटा मे स्थित दुकान जो शराब की सिनेमा हाल के पास है से 08.00 पीएम रात्री के पश्चात उसके शराब विक्रय व्यवसाय से

व्यवधान न डालने की एवज में प्रत्येक माह 15 हजार रूपये Ci साहब के नाम पर और 2 हजार रूपये स्वंय के नाम पर बतौर बंदी राशि मांगी गई । जबकी इनका कार्य रात्री 8 बजे बाद शराब बिक्री रोकना है। और इस डयुटी से विरत रहने के नाम पर यह रिश्वत राशि मांगी गई । आरोपी ने परिवादी से जुलाई अगस्त सितम्बर 2023 तीन महिने के 30,000/- रूपयें और अक्तुबर का 15000/- रूपये इस प्रकार कुल 45,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की जो की धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

परिवादी द्वारा दिनांक 23.09.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश करने पर दिनांक 24.09.2023 को परिवादी श्री सागर मेडी व आरोपी समरथ सिंह कि रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई तथा तय समय 4/5 अक्टुंबर के अनुसार दिनांक 05.10.2023 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। किन्तु आरोपी श्री समरथ सिंह को एसीबी टीम कि भनक लग जाने के कारण रिश्वत राशि ग्रहण नहीं कि काफी प्रयास के बाद भी आरोपी समरथ सिंह का कही पता नही चला। आरोपी श्री समरथ सिंह कानि0 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ द्वारा परिवादी श्री सागर मेडी की शराब की दुकान रात्री 08 बजे बाद दुकान खोलने व शराब दुकान के अन्दर बैठकर पिलाने के नाम व किसी भी प्रकार कि परेशनी नहीं आने देने के नाम पर बेधडक धन्धा करने की अनुमति देने की एवज में तीन माह पूर्व के बकाया तीस हजार व अक्टूम्बर माह से प्रतिमाह 15,000/-रू. कुल 45,000 /-रिश्वत राशि मांग करने आरोपी श्री समरथ सिंह कानि0 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ द्वारा अपनी मांग करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है जो कि धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री समरथ सिंह राणावत पुत्र श्री नाहर सिंह राणावत उम्र 31 साल जाति राजपूत निवासी चौगावडी थाना गंगरार जिला चित्तौडगढ़ तत्कालीन कानि0 न0 684 पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौडगढ

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री समरथ सिंह राणावत पुत्र श्री नाहर सिंह राणावत, तत्कालीन कानि. नम्बर 684, पुलिस थाना रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 284/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

31/X/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:-2991-94

दिनांक:-31.10.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।